संख्या-225/2025/**270** के-2/22-3-2024-17(**524**)/2024

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2025

विषय:- जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरेन्द्र उर्फ बिन्नू पुत्र श्री रतनलाल, निवासी जनपद-झांसी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-25376/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-13.08.2024) दिनांक-16.08.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरेन्द्र उर्फ बिन्नू पुत्र श्री रतनलाल, जो-ग्राम जरहा कला, थाना-पूँछ, जनपद-झांसी का निवासी है। थाने में रिपोर्ट करने को लेकर बंदी द्वारा दिनांक 14.03.1998 को अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, तमंचे से गोली मारकर व फरसा व कुल्हाड़ी से वारकर इन्द्रभान सिंह नामक 01 व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-53/1998, में भा0द0वि0 की धारा- 148, 396/149 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), झॉसी के आदेश दिनांक 19-02-2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.07.2020 बंदी को धारा 302/149 भा0दि0वि0 में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। उक्त के अतिरिक्त स्पेशल केस नं0-24/2002, धारा-3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश, उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम एक्ट, झॉसी द्वारा 04 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 28.02.2024 तक बन्दी की आयु 53 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी द्वारा पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नरेन्द्र उर्फ बिन्नू पुत्र श्री रतनलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरेन्द्र उर्फ बिन्नू (बन्दी संख्या-174/11) पुत्र श्री रतनलाल, निवासी जनपद-झांसी को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-225/2025/**270** के-2/22-3-2024-17(**524**)/2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, झॉसी।

4- अधीक्षक, जिला कारागार झॉसी।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-**2**, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-225/2025/**270** के-2/22-3-2024-17(**524**)/2024

दिनांक-30 जून, 2025 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नरेन्द्र उर्फ बिन्नू पुत्र श्री रतनलाल, जो-ग्राम जरहा कला, थाना-पूँछ, जनपद-झांसी का निवासी है। थाने में रिपोर्ट करने को लेकर बंदी द्वारा दिनांक 14.03.1998 को अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, तमंचे से गोली मारकर व फरसा व कुल्हाड़ी से वारकर इन्द्रभान सिंह नामक 01 व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-53/1998, में भा0द0वि0 की धारा- 148, 396/149 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0), झॉसी के आदेश दिनांक 19-02-2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील निर्णीत करते हुये मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.07.2020 बंदी को धारा 302/149 भा0दि0वि0 में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। उक्त के अतिरिक्त स्पेशल केस नं0-24/2002, धारा-3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश, उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम एक्ट, झॉसी द्वारा 04 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 28.02.2024 तक बन्दी की आयु 53 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बंदी द्वारा पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्व करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी नरेन्द्र उर्फ बिन्नू पुत्र श्री रतनलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in